

विश्वभारती

परिपत्र

सं. स्था/ई-III/आईपीआर

3 फरवरी, 2022

विषय : सीसीएस आचरण नियमावली के नियम 18(1) के तहत विश्वभारती के कर्मचारियों द्वारा अचल/चल संपत्ति आदि की घोषणा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट सभी संकाय सदस्यों कर्मचारी (समूह 'क' एवं 'ख') सहित जो किसी भी संवर्ग या पद पर पहली नियुक्ति एवं उसके बाद ऐसे अंतराल पर हो, उसे अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरणी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने होंगे :

- (क) उनके द्वारा विरासत में मिली अचल संपत्ति, या स्वामित्व या उनके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर या तो उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर या किसी के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति।
- (ख) शेयर, डिबेंचर एवं नकद बैंक जमा सहित उनके द्वारा विरासत में मिली या उनके द्वारा स्वामित्व, अधिग्रहित या धरित की गई।
- (ग) उनके द्वारा विरासत में मिली अन्य संपत्ति या उनके द्वारा स्वामित्व, अर्जित या धरित की गई; एवं
- (घ) उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए उपगत ऋण एवं देनदारियां।

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों सहित सभी कर्मचारी(समूह 'क' एवं 'ख') से अनुरोध है कि वे दिसंबर 2021 की समाप्ति वर्ष हेतु अपना विवरणी 28 फरवरी, 2022 तक निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

यह शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, (केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्यूरो), भारत सरकार के निर्देशानुसार जारी किया जाता है, भारत सरकार के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा पत्रांक (सं. एफ.एन. 13-26/2021-सी यू सीडीएन दिनांक 4 जनवरी, 2021) अचल संपत्ति जमा करने के संबंध में।

प्रस्तुत की गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।

हस्ता/-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

संलग्न : यथोपरी

सं. स्था/ई-III/आईपीआर

3 फरवरी, 2022

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल
2. सभी विभाग/केंद्र के प्रधान
3. वित्त अधिकारी, विश्वभारती
4. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
5. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, विश्वभारती
6. उप कुलसचिव (स्थापना)
7. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
8. सहायक कुलसचिव (बैठक)
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. प्रभारी, राजभाषा प्रकोष्ठ - हिंदी में अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
11. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।